

हिन्दी

यदि आपको इस वेबसाईट पर अंग्रेज़ी समझने में सहायता चाहिए तो अनुवाद व दुभाषिया सेवा (TIS NATIONAL) को 131 450 पर फ़ोन करें।

सहायता पाने के लिए उनसे कहें कि वे ए सी टी कर कार्यालय (ACT Revenue Office) को (02) 6207 0028 पर सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे के बीच संपर्क करें।